SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

हजारीबाग सामुदायिक विकास प्रखंड में कुटीर उद्योग की विकास एवं संभावनाएं – एक भौगोलिक अध्ययन

दीनानाथ ठाकुर, शोधार्थी, भूगोल विभाग
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
दीनानाथ ठाकुर

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 21/08/2023
Revised on : -----
Accepted on : 28/08/2023
Plagiarism : 03% on 21/08/2023

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
Overall Similarity: **3%**
Date: Aug 21, 2023
Statistics: 108 words Plagiarized / 3309 Total words
Remarks: Low similarity detected, check with your supervisor if changes are required.

शोध सार

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र की कुटीर उद्योग की वर्तमान स्वरूप का पता लगाना, साथ ही भविष्य में संभावना की खोज करना। इस शोधपत्र को पूरा करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का सहारा लिया गया है। साथ ही इसमें प्रतिदर्श विधि का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसमें वर्णनात्मक –सह– विश्लेषण विधि का भी प्रयोग किया गया है। इस शोधपत्र के अंतर्गत कुटीर उद्योग के संभावनाओं का पता लगाया गया है। प्रस्तुत शोध में यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि हजारीबाग सामुदायिक विकास प्रखंड में किस प्रकार कुटीर उद्योग जैसे– पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग उद्योग, पत्तल–दोना उद्योग, मिट्टी का बर्तन, चिप्स उद्योग और चावल मिल का विकास किया गया है साथ ही इन क्षेत्रो में भविष्य की डायरी संभावनाएं की व्याख्या की गई है। इस क्षेत्र में चुटियारों, सेखा, रोला, मोरांगी, हुटपा, मेरू, सिंघानी, हरहद, करबेकला और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत रूप में विकास किया गया है। अतः कहा जा सकता है कि यहां की निश्चित भौगोलिक दशा के आधार पर कुटीर उद्योग का विकास किया जा सकता है।

मुख्य शब्द

कुटीर एवं लघु उद्योग, परंपरागत उद्योग, डेयरी उद्योग.

प्रस्तावना

"ग्राम उद्योग" की परिधि में वे सभी उद्योग धंधे आते हैं, जो ग्रामवासी अपने घरों के आस–पास पारम्परिक रीति अथवा जाति विशेष के आधार पर कौशल का उपयोग करते हुए निष्पादन करते हैं। सामान्य रूप से स्थानीय कच्चे माल, कौशल, पूँजी, तकनीक उपयोग पर

आधारित उत्पादन को ग्रामीण उद्योग की संज्ञा दी जाती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संशोधित अधिनियम 1987 के अनुसार

"जिस उद्योग की स्थापना 10 हजार ग्रामीण जनसंख्या या बिजली की सहायता से या इसके बिना स्थापित हो, साथ ही प्रति कारीगर या कार्यकर्ता 15000 रूपये से अधिक पूँजी निवेश न किया हो। इसे ग्रामीण उद्योग के श्रेणी में रखते हैं।"

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार

"ग्रामीण उद्योग या ग्रामीण उद्योग का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग जिसकी जनसंख्या 10000 या इस तरह के अन्य से अधिक न रहे, जो किसी भी सामान या उत्पादन या उपयोग किए बिना या उसके बिना किसी भी सेवा का उत्पादन करता है। जिसमें प्रति कारीगर या श्रमिक के प्रति निर्धारित पूँजी निवेश 1000 रूपये से अधिक न हो।"

ग्रामीण उद्योग के अर्थ एवं परिभाषा को निम्न रूप से देख सकते हैं–

- ये व्यक्तियों द्वारा अपने निजी संसाधनों से संगठित किए जाते हैं।
- सामान्यतः परिवार के सदस्यों के श्रम तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रतिभा का प्रयोग होता है।
- सरल उपकरण प्रयुक्त होते हैं।
- पूंजी निवेश कम होता है।
- ये अपने ही परिसरों से सरल उत्पादों का उत्पादन करते हैं।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1949) ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम्य जीवन के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है "नगरों का विकास गाँवों से होता है और नगरवासी निरंतर ग्रामवासियों के परिश्रम पर ही पनपते हैं। जब तक राष्ट्र का ग्रामीण कर्मठ है तब तक देश की शकित और जीवन आरक्षित है। जब लम्बे समय तक शहर गाँवों उनकी आभा और संस्कृति को लेते रहते हैं और बदले में कुछ नहीं देते तब तक ग्राम्य जीवन तथा संस्कृति के साधनों का हास हो जाता है और राष्ट्र की शक्ति कम हो जाती है।"

ग्रामीण उद्योग की भूमिका को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था – ''बिना लघु एवं कुटीर उद्योग के ग्रामीण किसान मृत है। वह केवल भूमि की उपज से स्वयं को नहीं पाल सकता उसे सहायक उद्योग चाहिए।''

ग्रामीण उद्योग से संबंधित शब्दावली

ग्रामीण उद्योग उन सभी उद्योगों को शामिल करते है जो ग्रामीण लोगों द्वारा संचालित किए जाते हैं। यह उद्योग मुख्य रूप से स्थानीय कच्चे माल, कौशल और कम मात्रा में पूंजी के उपयोग पर आधारित है।

ग्रामीण उद्योग को मुख्य तौर पर वर्गीकृत किया जाता हैः

- कुटीर उद्योग।
- लघु उद्योग।

कुटीर उद्योग

कुटीर उद्योग आम तौर पर कृषि से जुड़े होते हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अंशकालीन और पूर्णकालिक दोनों तरफ से रोजगार प्राप्त करते हैं।

इन उद्योगों की विशेषता इस प्रकार हैः

- इन उद्योगों को कारीगरों द्वारा अपने घरों में अपने जोखिम पर और अपने लाभ के लिए किया करते हैं।

- इसमें आमतौर पर घर के सदस्य आवश्यक श्रम प्रदान करते है।
- यह वंशानुगत एवं चरित्र में पारंपरिक होते हैं।
- कम से कम शक्ति उपयोग किया जाता है।
- यह उद्योग स्थानीय बाजार को सेवा देते हैं।
- इन उद्योगों में चटाई, टोकरी बनाने, मिट्टी के बर्तन दोना, पत्तल दुग्ध व्यवसाय इत्यादि आते हैं।

लघु उद्योग

अधिकांश लघु उद्योग शहरी केंद्रों के पास स्थित होते हैं ये स्थानीय और विदेशी बाजारों के लिए माल का उत्पादन करते हैं जिससे खेल का सामान, साबुन, बिजली के पंखे, जूते चप्पल, सिलाई मशीन, हथकरघा इत्यादि कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है। इसमें कुशल कारीगर उत्पादन का उत्पाद प्रकृति प्रदत्त कच्चे माल से घरों के सदस्यों के सहयोग द्वारा तैयार करता है व कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है लेकिन शहरी क्षेत्रों की ओर रोजगार के कारण प्रवास से कारीगरों की कमी हुई।

ग्रामीण या कुटीर या लघु उद्योग का विकास

आजादी के बाद लघु उद्योग के विकास के लिए सन् 1948 में देश में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई उस समय भारत के तत्कालीन उद्योगमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इनके विकास हेतु 42 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई। फिर भी 1950, 1977, 1980 एवं 1991 की औद्योगिक नीतियों की घोषणाओं में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रमुख स्थान दिया गया है।

देश में पंजीकृत तथा कार्यरत लघु औद्योगिक इकाईयों की गणना पहली बार 1972 में पूर्ण की गई थी जिसमें 1.40 लाख इकाईयों की गणना की गई थी। इसके उपरान्त 1988 की गणना में 5.8 लाख इकाईयां कार्यरत है। रोजगार एवं निर्यात की संभावना को देखते हुए सरकार ने 7वीं योजना के मुकाबले 8वीं योजना में चौगुनी वृद्धि की है। श्रम प्रधान एवं पूंजी के अभाव में 8वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में छोटे उद्योगों का जाल बिछाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। (आर. सी. तिवारी, 1998)

सामान्य तौर पर कुटीर उद्योग को परंपरागत उद्योग या ग्रामीण उद्योग के नाम से जानते हैं। प्रोफ़ेसर काले में कुटीर उद्योग को परिभाषित करते हुए कहा है कि "कुटीर उद्योग उस प्रकार के संगठन को कहते हैं जिसके अंतर्गत स्वतंत्र उत्पादनकर्त्ता अपनी पूंजी लगाता है और कुल उत्पादन का स्वयं अधिकारी होता है।

भारत सरकार ने कुटीर उद्योग को निम्नलिखित 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया हैः

1. कृषि आधारित उद्योग।
2. वन आधारित उद्योग।
3. खनिज आधारित उद्योग।
4. इंजीनियरिंग और गैर–पारपरिक उद्योग।
5. कपड़ा उद्योग।

6. सेवा उद्योग।

कुटीर उद्योग को ग्रामीण औद्योगिकीकरण रणनीति के अनर्गत रखा जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरो में प्रवसन कम करना है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र हजारीबाग जिला के अन्तर्गत हजारीबाग सामुदायिक विकास प्रखंड है। इनका निर्देशांक $23^0 57'49''$ N- $24^0 1' 46''$ N और $85^0 20''$ E- $85^0 27' 26''$E में अवस्थित है। यह प्रखंड 610 मी० ऊँचाई (समुद्र तल) में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 312.49 km^2 है। यहाँ की शहरी जनसंख्या 2011 में 290098 (59.23%) है, यह 2001 की शहरी जनसंख्या 53.21% से अधिक थी। इस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर 1991–2001 के दशक में 30. 01% और 2001–2011 के अंतर्गत 12% (42.1%) की वृद्धि हुई। इसके अन्तर्गत कुल 25 ग्राम पंचायत, 80 गाँव और 3 जनगणना शहर (मेरू, मंडईकलां, ओकनी 2) इस प्रखंड के उत्तर में ईचाक प्रखंड, पूर्व में दारू प्रखंड, पश्चिम में कटकमदाग और कटकमसांडी प्रखंड और दक्षिण में बड़कागाँव प्रखंड शामिल है। इस प्रखंड की साक्षरता दर 77.56% है जिसमें पुरूष 85.90 और महिला 68.12% है। इस प्रखंड की कुल कार्यशील जनसंख्या 83,256 है जो कुल जनसंख्या का 28.70 प्रतिशत है जबकि गैर–कार्यशील 71.30 प्रतिशत है।

शोध का उद्देश्य

- ➢ अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान ग्रामीण उद्योगों का पता लगाना।
- ➢ ग्रामीण उद्योग की समस्या ,संभावना एवं नियोजन को स्पष्ट करना।

शोध प्रश्न

- ➢ अध्ययन क्षेत्र में कुटीर उद्योग का स्वरूप क्या है?
- ➢ अध्ययन क्षेत्र की समस्या एवं संभावनाओं को स्पष्ट करना?

शोध का विधि तंत्र

किसी भी शोध को पूरा करने के लिए शोध विधि महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शोध विधि के माध्यम से विषय वस्तु को वैज्ञानिक एंव विश्लेषणात्मक बनाया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध को पुरा करने के लिए प्राथमिक–सह–द्वितीयक विधि का सहारा लिया गया है। प्राथमिक विधि के अन्तर्गत साक्षात्कार एवं अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया है, जबकि द्वितीयक आँकड़ों में प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्रोतों का सहारा लिया गया है, साथ ही जिला उद्योग बोर्ड, माटी कला बोर्ड, झारखंड सरकार, सपोर्ट

एनजीओ, झारक्राफ्ट झारखंड सरकार इत्यादि। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग उद्योग बोर्ड, हजारीबाग जिला उद्योग विभाग शामिल है।

इस अध्ययन के लिए क्रमबद्ध प्रतिदर्श विधि का प्रयोग किया गया है जिसमें अध्ययन क्षेत्र की कुल 24 पंचायत में से चुटियारो, सेखा, रोला, मोरांगी, हुटपा, मेरू, सिंघानी, हरहद, करबेकला एवं अन्य ग्रामीण और नगरपालिका क्षेत्र शामिल है। साथ ही इस शोध को पूरा करने के लिए वर्णनात्मक–सह–विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है।

ग्रामीणों की जीवन–रेखा कुटीर उद्योग

छोटे पैमाने के उद्योग अर्थात् कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास प्रक्रिया में अहम् स्थान रखते हैं। कुटीर उद्योग को ग्रामीण उद्योग की भी संज्ञा देते हैं। यह गाँवों की जीवन–रेखा के रूप में जानी जाती है। इस कुटीर उद्योग या ग्रामोद्योग के अन्तर्गत परम्परागत एवं आधुनिक उद्योग को शामिल किया जाता हैं। सामान्य तौर पर कुटीर उद्योग को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि ''विद्युत ऊर्जा प्रयोग करने वाला अथवा न करने वाला, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई उद्योग जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है'' तो उसे कुटीर उद्योग की संज्ञा दी जा सकती है। कुटीर उद्योग में अनुमानित लगभग 33 प्रतिशत योगदान है।

कोई भी उद्योग को उनके काम के हिसाब से सर्विस या मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में विभाजित किया जाता है। ग्रामीण उद्योग विशेष रूप से लघु उद्योग पर आश्रित है जिनका वर्गीकरण निम्न है:

लघु उद्योग का वर्गीकरण (भारत सरकार के आँकड़ो के आधार पर)

प्रकार	मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर	सर्विस सेक्टर
सूक्ष्म उद्योग	25 लाख तक	10 लाख तक
लघु उद्योग	कम से कम 25 लाख	10 लाख से कम
लघु उद्योग	5 से 10 करोड़	2 करोड़ से ज्यादा

(स्त्रोतः इंटरनेट, भारतीय ग्रामीण उद्योग विभाग)

कुटीर उद्योग के प्रकार

कुटीर उद्योग को स्थान के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है:

1. नगरीय कुटीर उद्योग।
2. ग्रामीण कुटीर उद्योग।

1. **नगरीय कुटीर उद्योग**– इसके अंतर्गत परंपरागत और आधुनिक स्वरूप के आधार पर निम्न भाग शामिल किए जाते हैं–

किंचित नगरीय कुटीर उद्योग– इसमें परंपरागत कारीगरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें कुशलता और कारीगरी का अनुठा संगम होता है जैसे– हजारीबाग जिला का कोटबर, सोहराय कला, म्यूरल पेंटिंग इत्यादि।

शहरी कुटीर उद्योग– इसमे स्वंय के समय के साथ आधुनिक तर्ज पर ढाला जाता है। जैसे हजारीबाग में संचालित अर्बन हाट (झारक्राफ्ट) की हथकरघा उद्योग ,डोखरा उद्योग खादी वस्त्र निर्माण उद्योग।

2. **ग्रामीण कुटीर उद्योग–** इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित परंपरागत सामानों को शामिल किया जाता है जो अधिकांशत कृषि कच्चे माल पर आधारित होते हैं।

इस शोध पत्र के अन्तर्गत हजारीबाग सामुदायिक विकास प्रखंड में ग्रामीण कुटीर उद्योग के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन के क्रम में यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के कुटीर उद्योग काफी अव्यवस्थित एवं असंतुलित है। इस अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत निम्म कुटीर उद्योग का विकास हुआ है–

कुटीर उद्योग में निम्न उद्योगों को शामिल किया जाता है:

- दोना–पत्तल बनाने का कुटीर उद्योग।
- बांस की टोकरी का कुटीर व्यवसाय।
- बर्तन बनाने का उद्योग।
- नमकीन बनाने का उद्योग।
- मसाला बनाने का कुटीर व्यवसाय।
- फर्नीचर बनाने का उद्योग।
- पापड़ बनाने का कुटीर उद्योग।
- अगरबत्ती बनाने का काम।
- गाय, भेंड़ एवं बकरी का पालन
- अचार बनाने का उद्योग।
- सिलाई करने का कुटीर उद्योग।

दोना–पत्तल बनाने का कुटीर उद्योग: अध्ययन क्षेत्र में इस उद्योग का विकास वर्तमान परिदृश्य में गिरावट आई है, लेकिन डबल डाई फुल ऑटोमैटिक नाम से इस मशीन की कीमत 50000/– रू. से शुरू होती है। इसके माध्यम से इसका विकास पुनः हो रहा है। इस मशीन के माध्यम से 7 घंटे में 1000 पीस तक पत्तल का उत्पादन हो जाता है। इन उत्पादों को वर्तमान कोरोना काल में विभिन्न होटल, विवाह समारोह में होने लगा है। साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली गाँवों की महिलाएँ पत्रों का पत्तल एवं दोना हाथ से बनाती है। वर्तमान समय में शहरों की अनेक होटल में मांग बढ़ने के कारण आमदनी में वृद्धि हुई है जिसमें लगभग 20000 महीना हो जाता है।

बांस की टोकरी का कुटीर व्यवसाय: अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हरहद, चुटियारो, सेखा, रोला, मोरांगी, हुटपा, मेरू, सिंघानी में वृहद मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। इनमें लगभग 22 ग्रामीण परिवार शामिल है। ये इन उत्पादन को हजारीबाग शहरी क्षेत्रों में बिक्री किया जाता है।

बर्तन बनाने का उद्योग: ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस क्षेत्र में विभिन्न पूजा त्यौहार के समय मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। यह कुटीर उद्योग का मुख्य आधार स्तम्भ है। उसमें मिट्टी का घड़ा, सुराही, मिट्टी के खिलौने, मूर्तियाँ आदि तैयार कर हजारीबाग शहर के मुख्य बाजार में बेचा जाता है। इस उद्योग में संलग्न पंचायत चुटियारो, रोला, सिंघानी, अमृतनगर कला, मोरांगी, शेखा, हुपड़ा, मेरु इत्यादी।

नमकीन बनाने का उद्योग: वर्तमान समय हजारीबाग जिला नमकीन के क्षेत्र में काफी चर्चित ही चला है। यहाँ कुशल महिलाएँ नमकीन बनाकर बाजार में उचित मूल्य पर बेच सकती हैं। नमकीन बनाने के लिए बेसन के साथ विभिन्न प्रकार की दालें जैसे– उरद, मूंग, चना आदि का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में इस क्षेत्र में राजहंस, कृष्णा ब्रांड सत्तु, इत्यादि नमकीन को विकास होता है जिसे सालाना 50000 तक का आय प्राप्त आसानी से हो जाता है।

मसाला बनाने का कुटीर व्यवसायः इस अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मसालों को तैयार कर बाजार में बेचा जाता है जैसे–मिर्ची, हल्दी व धनिया आदि। यह उद्योग रसोई में होने वाली लागत व रोजमर्रा की आपूर्ति के लिए सक्षम है। इस व्यवसाय के लिए मसाला पीसने के लिए छोटी चक्की की आवश्यकता पड़ती है, जो इस क्षेत्र में काफी उपलब्ध है। इस मसाला उद्योग का विकास भी काफी हुआ है जैसे खिरगांव, सिंदूर, नावाडीह इत्यादि।

पापड़ बनाने का कुटीर उद्योगः इस अध्ययन क्षेत्र में पापड़ उद्योग का विकास हुआ है। महिलाएँ घरों में पापड़ बनाकर बाजार मे लाकर बेचती है। इसे साबुदाने से पापड़ का निर्माण किया जाता है। अधिकांश पापड़ व्यवसाय गाँवों में होती है जिसमें 20000–25000 रू०की लागत से शुरू करके उचित दाम में बिक्री करते हैं।

अगरबत्ती बनाने का कामः अगरबत्ती बनाने का उद्योग कम लागत में अधित लाभदायक उद्योग है। यहाँ लगभग 50000–60000 रुपए की लागत में मशीन को खरीदकर आप अच्छी आमदनी कर लेते हैं। अगरबत्ती चारकोल पाउडर, वुड पाउडर रोल, धूप, एवं अन्य सुगन्धित सामग्री का मिश्रण तैयार करके बनायी जाती है। जैसे–कुम्हारटोली, हुरहुरु, रोला इत्यादि में किए जाते हैं।

गाय, भेंड़ एवं बकरी का पालनः वर्तमान समय अध्ययन क्षेत्र में काफी मात्रा में पशुपालन किया जा रहा है जिसमें गाय, भेंड, बकरी शामिल है। यह गरीबों की रोजगार की साधन है। अधिक उच्च नस्ल की गायों के माध्यम से दूध उत्पादन किया जा सकता है साथ ही दही, मक्खन, घी, छाछ के माध्यम से आय की प्राप्ति होती है।

अचार बनाने का उद्योगः इस अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत के तहत अचार जैसे–मिर्च, आम, जलपाई, आंवला आदि बनाकर बिक्री किया जा सकता है। अचार का व्यापार कम लागत और भरपूर मेहनत से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह अचार एक–दो महीने में तैयार हो जाता है। शहरों में इन चारों को लड़ाई 100 से 300 प्रति केजी के दामों पर बेचा जाता है।

सिलाई करने का कुटीर उद्योगः इस अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश महिलाएँ सिलाई करके खुद को उद्यमशील बना रही हैं। साथ ही इस क्षेत्र में 3000–4000 रूपये में बाजार से मशीन प्राप्त करके 700–1000 रूपये में प्रतिदिन कमाई कर रही है। सिलाई कार्य सीखने के लिए सरकार की ओर से स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा कुछ के तरफ से भी सिलाई की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग की अवधि 3–6 महीने की होती है। इसमें सपोर्ट एनजीओ के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के दौर पर सिलाई काम को बढ़ावा दिया जा रहा है।

हजारीबाग सामुदायिक विकास प्रखंड में ग्रामीण कुटीर उद्योग

क्रम संख्या	कुटीर उद्योग	परिवार की संख्या
01	दोना–पत्तल बनाने का कुटीर उद्योग	25
02	अगरबत्ती बनाने का काम	20
03	नमकीन बनाने का उद्योग	12
04	बर्तन बनाने का उद्योग	15
05	मसाला बनाने का कुटीर व्यवसाय	07
06	पापड़ बनाने का कुटीर उद्योग	15
07	सिलाई करने का कुटीर उद्योग	10
08	पशुपालन, मुर्गीपालन	35
09	फर्नीचर बनाने का उद्योग	25
10	बांस की टोकरी का कुटीर व्यवसाय	22

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

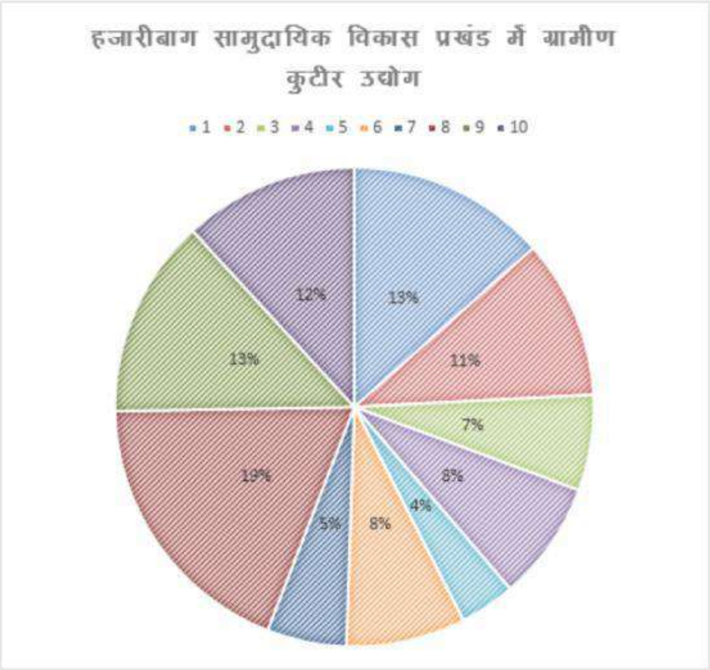

कुटीर उद्योग के माध्यम से प्राप्त आय कुटीर उद्योग के माध्यम से प्राप्त आय

कुटीर उद्योग	औसत मासिक आय (हजार मे)	औसत वार्षिक आय (लाख मे)
दोना – पतल	10	1.00
नमकीन	12	1.00
मिट्टी का बर्तन	06	0.80
मसाला	10	1.00
पापड़	15	0.90
सिलाई	10	0.75
पशुपालन	11	0.90
फर्नीचर	12	0.90
टोकरी	10	0.80
अगरबत्ती	08	0.90

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

अध्ययन क्षेत्र कुटीर उद्योग की संभावना

झारखंड में लोगों को लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने 2016 को माटी कला बोर्ड की गठन किया गया है। इसका मकसद शिल्पकारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करना, जिसमें पहला परीक्षण केंद्र रांची के बुंडू में खोला गया। झारखंड सरकार ने अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे सेक्टर चुनें जिसमें पक्की के साथ काम करने पर जोर दिया जिसमें टेक्सटाइल, फूड, प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, कुटीर उद्योग पर्यटन आदि शामिल है।

झारखंड सरकार ने इन्हीं के तत्वधान में मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना की गई। साथ ही आत्मनिर्भर अभियान के साथ मिलकर अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित संभावना प्रकट होती है जो निम्नलिखित हैः

- चित्रकारी कला सोहराई एवं कोहबर।
- झारक्राफ्ट उद्योग।
- डेयरी उद्योग।
- लाख उद्योग।
- पापड़ उद्योग।
- मिट्टी के बर्तन उद्योग।
- चिप्स उद्योग।
- अंडा का कुटीर उद्योग।
- टमाटर सोस उद्योग।
- पशुपालन उद्योग।
- चावल मिल।

अध्ययन क्षेत्र में कुटीर उद्योग की समस्या

अध्ययन क्षेत्र में कुटीर उद्योग की समस्या निम्नलिखित इस प्रकार हैः

- अशिक्षित ग्रामीण जनसंख्या का नियंत्रण शहरों की ओर प्रवास।
- शिक्षित ग्रामीण जनसंख्या का औद्योगिक परीक्षण का अभाव।
- ग्रामीण पुंजी का अभाव।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे माल के भंडार का अभाव।
- तकनीकों का अभाव।
- सरकारी सुविधाओं का अभाव।
- मौसमी अतिक्रमण का प्रभाव।
- निम्न स्तर पर कौशल का अभाव।

अध्ययन क्षेत्र में कुटीर उद्योग की समस्या का समाधान

उपरोक्त समस्या के संदर्भ में अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित समाधान ढूंढा जा सकता हैः

- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास कर लोगों को प्रोत्साहन देना।
- उचित प्रशिक्षण व्यवस्थित करना।
- ग्रामीण जनसंख्या को कुटीर उद्योग के विकास हेतु सरकार द्वारा लोन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- नवीन आधुनिक तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए।

- कच्चे माल की भंडार व्यवस्था जिससे लंबे समय तक रखा जा सके।
- मौसमी अतिक्रमण से बचने के लिए मिश्रित कुटीर व्यवसाय को आगे बढ़ाना।
- सरकार द्वारा नियंत्रण जागरूकता फैलाना।
- माटी कला बोर्ड के माध्यम से कौशल विकास करना।

निष्कर्ष

उपरोक्त संपूर्ण विवरण में यह स्पष्ट होता है कि हजारीबाग सामुदायिक विकास प्रखंड में कुटीर उद्योग का विकास काफी प्राचीन काल से हुआ है जो परंपरागत श्रेणी में शामिल है, लेकिन आधुनिक तकनीक के युग में इनका विकास किया जा रहा है। वर्तमान समय में झारखंड की पारंपरिक चित्रकारी कला सोहराई और कोहबर को जी आई मिला है। हजारीबाग के प्रसिद्ध कला ममता बुलु इमाम, जस्टिन इमाम तथा अलका इमाम लंबे समय से इस प्रयास में लगे हुए थे। अतः कहा जा सकता है कि यहां आधुनिक समय में कुटीर उद्योग की प्रबल संभावना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सिंह, सरोज कुमार (2015), *"झारखंड प्रदेश की भौगोलिक व्याख्या"* नई दिल्ली, राजेश पब्लिकेशन।
2. तिवारी, राम कुमार (2017), *"झारखंड का भूगोल"* नई दिल्ली, राजेश पब्लिकेशन।
3. गौतम, अलका (2013), *"आर्थिक भूगोल के मूल तत्व"* इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।
4. मौर्य, एस डी (2014), *"आर्थिक भूगोल"* इलाहाबाद, प्रवालिका पब्लिकेशन।
5. https://www.postmayor.com
6. https://liveinhindi.com
7. https://bharatdiscovery.org
8. https://moneyinnovate.com
9. https://www.digicgvision.in

****